मासिक

इसलाहे समाज

मई **2018** वर्ष **29** अंक **05**

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् ह़क़्क़

❑	वार्षिक राशि	**100** रुपये
❑	प्रति कापी	**10** रुपये
❑	टोटल पेज	**28**

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट **2035** क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल **4116**, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	प्रेस रिलीज़	**2**
2.	सफलता और असफलता की बुनियाद	**4**
3.	क़ुरआन में मानव सुरक्षा के आधार	**6**
4.	विश्व शान्ति की स्थापना के महत्वपूर्ण तत्व	**7**
5.	रमज़ान के महीने में किये जाने वाले सत्कर्म	**9**
6.	प्रेस विज्ञप्ति	**12**
7.	१८वां आल इंडिया मुसाबक़ा	**15**
8.	मादर्क पदार्थ, इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में	**16**
9.	मानवता की सुरक्षा, महत्ता एवं आवश्यकता	**19**
10.	ऐलाने दाख़िला	**21**
11.	अपील	**22**
12.	ईदैन के अहकाम और मसाइल	**23**

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सफलता और असफलता की बुनियाद

नौशाद अहमद

आज की तेज़ रफ्तार जिन्दगी ने इन्सान को काफी व्यस्त कर दिया है, भाग दौड़ में कुछ अहम काम नजरों से ओझल होते जा रहे हैं, हर इंसान यह चाहता है कि वह दुनियावी तरक्की की दौड़ में किसी से पीछे न रह जाये, यही वजह है कि वह तरक्की की मंज़िल को तय करने के लिये अत्यंत संघर्ष करता है लेकिन इन तमाम मसरूफियात के बावजूद इन्सान के ऊपर उसके पालन हार ने कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं जिनको निभाना उसका कर्तव्य है अगर वह अल्लाह के द्वारा दी गयी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है तो अल्लाह ने यह बता दिया है कि उसको अपनी कोताही का अंजाम भुगतना पड़ेगा।

इंसान को परिणाम से आगाह करने का मतलब यह हुआ कि अल्लाह अपने बन्दों पर दया करूणा करना चाहता है।

इन्सान का सबसे पहले अपने घर से वास्ता पड़ता है, और यहीं से उसकी जिम्मेदारी की शुरूआत होती है, बाल बच्चों की तालीम कैसी होनी चाहिये, उसे किस माहौल के मुताबिक रहना है, बाल बच्चों को किन लोगों के साथ रहना सहना है, उसे किस तरह की शिक्षा देनी है, बच्चों के जीवन की दिशा क्या होनी चाहिये, अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, यह वह सवालात हैं जिन का संबन्ध हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से हैं, और अल्लाह के अंतिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लाहो अलैहि० वसल्लम ने इस बारे में फरमाया है तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ ताछ हो गी, हर आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और उससे भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जायेगा। (बुखारी)

अल्लाह तआला कुरआन में फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इन्सान को अपनी इबादत के लिये पैदा किया है।

हदीसे रसूल और कुरआन की इस आयत से हर इन्सान की जिम्मेदारी तै हो गयी है। घर में इस्लाम के अनुसार बच्चों की शिक्षा और अल्लाह की इबादत हर इन्सान का कर्तव्य है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने जीवन की दिशा को तय करना और उसको यक़ीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सफलता और असफलता की बुनियाद यही है। रमज़ान के महीने में हम तमाम लोगों ने अल्लाह की खूब इबादत की, लेकिन यह ध्यान रहे कि हमारी इबादत केवल रमज़ान के महीने तक सीमित न रहे बल्कि हमारी नेकी और अल्लाह की इबादत का सिलसिला पूरे साल जारी रहे इस लिये कि यह जिन्दगी हमारे लिये एक परीक्षा है जिस पर खरा उतर कर हम अपने पालन हार को राजी कर सकते हैं। अल्लाह तआला हम तमाम लोगों को नेकी के सिलसिले को बाकी रखने की क्षमता दे।

❑❑❑

कुरआन में मानव सुरक्षा के आधार

अब्दुल मुबीन फैज़ी
अध्यापक जामिया मुहम्मदिया

इस्लाम ने मानवता की सुरक्षा और इन्सान की जान को बचाने के लिये केवल यही नहीं कि किसी गैर की जान लेने को हराम करार दिया बल्कि अपनी जान लेने को भी मना किया है। कुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है।

''अपने आप को भी कत्ल न करो अल्लाह तुम पर रहम करता है''

अर्थात आत्महत्या जैसे कर्म को भी सख्त अपराध करार दिया है और आत्महत्या करने पर सख्त अज़ाब की धमकी दी गयी है और अपनी औलाद को भी कत्ल करने से सख्ती के साथ और अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में रोका गया है क्योंकि यह भी मानवता की पामाली है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो हम ही तुम को और उनको रोज़ी देते हैं।''

इन्सान के कत्ल की दुष्टता का इस बात से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तआला ने कुरआन के अन्दर इन्सान के नाहक कत्ल को पूरी मानवता के कत्ल के समान करार दिया। इसी तरह से एक इन्सान की जिन्दगी बचाने अर्थात उसे नाहक कत्ल होने से बचा लेने को पूरी मानवता की जिन्दगी बचा लेने के समान बताया है। मानव सुरक्षा की जो बुनियाद कुरआन ने बतायी है अगर इस आधार पर समाज का गठन किया जाये तो निश्चित तौर पर समाज अत्याचार और कत्ल व खूंरेजी से सुरक्षित होगा और इन्सान महफूज़ होगा।

मानवता की पामाली का एक तरीका यह भी है कि एक इन्सान दूसरे इन्सान को किसी एतबार से अपने से कमतर समझे और फिर उससे ऐसा व्यवहार करे जिससे उसका अपमान होता हो। उदाहरण के तौर पर पेशा (व्यवसाय) के एतबार से लोगों के बीच भेदभाव किया जाये और इन्सानों को विभिन्न वर्गों में बांटे कि अमुक वर्ग सम्माननीय है लेकिन कुरआन जो संसार के सृष्टा का कलाम (वाणी) है उसकी नजर में इन्सानों के बीच वर्गव्यवस्था का कोई वजूद नहीं है और यहां सब एक हैं। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें खानदानों और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, याद रखो तुम में सबसे सम्माननीय अल्लाह के नजदीक वह है जो

सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो।''

कुरआन की इस स्पष्ट इन्सान को बराबरी की शिक्षा का दृष्य इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल के वक्त हर कोई अपनी आंखों से देख सकता है कि किस प्रकार से एक इमाम के पीछे तमाम मुसलमान एक साथ नमाज़ अदा करते हैं और एक साथ रोज़ा अदा करते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ मिल कर एक तरह का कपड़ा पहन कर एक कल मए तलबिया (अल्लहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका....) के साथ हज के लिये हाज़िर होते हैं और एक साथ हज के अरकान को अदा करते हैं।

यह तो धार्मिक एतबार से हर एक के साथ समता और बराबरी की बात है और किसी को किसी पर वरियता नहीं दी गयी इसी तरह समाजी एतबार से भी किसी इन्सान को यह इजाज़त नहीं दी गयी कि वह अपने आपको बड़ा समझते हुये दूसरे के साथ अपमानजनक बर्ताव करे। यही वजह है कि इस्लाम ऐसे हर काम को पाप का काम बताता है और इससे रूक जाने का कड़ा आदेश देता है जिससे किसी दूसरे इन्सान के अपमान का पहलू निकलता हो या इससे मानवता की पामाली और बर्बादी होती हो।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''ऐ ईमान वालो कोई कौम दूसरी कौम से मसखरापन न करे, संभव हे यह उससे बेहतर हो और न औरतें औरतों से, संभव है यह उनसे बेहतर हों, और आपस में एक दूसरे पर ऐब न लगाओ और न किसी को बुरे लक़ब दो, ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है और जो तौबा न करें वही जालिम लोग हैं। ऐ ईमान वालो! बहुत गुमान करने से बचो, मानो कि कि बाज गुमान पाप हैं और भेद न टटोलो और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसन्द करता है तुम को इससे घिन आयेगी और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने वाला मेहरबान है''।

कुरआन की सूरे हुजरात की इन दोनों आयतों को सामने रख कर अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि कुरआन ने केवल मानवता की सुरक्षा की गारन्टी ही नहीं बल्कि हर उस रास्ते पर सख्त पहरा बिठा दिया जिस रास्ते से इन्सान का अपमान हो सकता था और इन्सानियत पामाल होती हो आज भी अगर इन्सानों को अम्न व सुकून और सुख मिल सकती है तो कुरआन की शिक्षाओं को अपना कर और अगर संसार वाले चाहते हैं कि समाज ऐसा समाज बन जाये जिस में तमाम इन्सानों को उनका हक़ मिले और उन्हें किसी के अत्याचार से छुटकारा मिल जाये तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं आइये कुरआन की शिक्षाओं का अध्ययन कीजिये और इसे अपना कर सुकून की जिन्दगी का सुख उठाइये।

(जरीदा तर्जुमान १६-३१ मार्च २०१८)

❑❑❑

विश्व शान्ति की स्थापना के महत्वपूर्ण तत्व

डा० ईसा खान अनीस जामई
अमीर, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस हरयाणा

''अम्न'' का शब्द कुरआन और हदीस में बहुत से स्थानों पर प्रयोग हुआ है और इस शब्द के अर्थ के अन्दर बहुत व्यापकता पायी जाती है अर्थात अम्न से सुरक्षा और हार्दिक सुख और संतुष्टि तात्पर्य है। गोया कि इन्सान का आर्थिक, राजनीतिक और समाजी एतबार से संतुष्ट होना अम्न की परिभाषा में दाखिल है।

इस्लाम ने संसार में अम्न व सुरक्षा के विषय को मानव समाज की अहम आवश्यकता के तौर पर पेश किया है। चन्द खान्दान और या चन्द लोगों के एक साथ आपस में मिल जुल कर जीवन गुज़ारने को समाज कहते हैं। समाज के लोग अच्छे हों या बुरे दोनों के आपसी जीवन पर समाज का अर्थ लागू होता है। लेकिन अच्छे लोगों का समाज एक अच्छा, पवित्र मजबूत और शान्ति पूर्ण समाज होगा जबकि बुरे लोगों का समाज दुष्ट, कमजोर, भय आतंक, फितना फसाद और कत्ल आदि से भरपूर असुरक्षित होगा जबकि अच्छे लोगों का समाज विश्व शान्ति की जमानत देता है अतः यह देखना होगा कि इस अच्छे और पवित्र समाज के बुनियादी तत्व क्या होंगे?

१. समाज में सदाचारी लोगों का होना विश्व शान्ति की स्थापना का महत्वपूर्ण तत्व है इस लिये मां बाप और घर के अन्य लोगों के लिये यह बात अत्याधिक आवश्यक है कि वह अपने बच्चों के दिल व दिमाग पर इस्लामी शिक्षाओं का नक्श बिठायें और उनको इस्लामी जीवन शैली में ढालें ताकि यह बड़े हो कर अपने घर, अपने खानदान, अपनी कौम और अपने देश का नाम रोशन करें। अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी मक्की ज़िन्दगी का एक एक क्षण लोगों को सदाचारी बनाने पर खर्च किया और आप की मेहनत का यह परिणाम निकला कि एक लम्बी मुद्दत से भटकी हुयी कौम वैचारिक, और चारितत्रिक एतबार से सहीह रास्ते पर आ गयी। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व शान्ति की स्थापना के लिये पहला तत्व सदाचारिता है।

२. आपसी सहयोगः विश्व शान्ति की स्थापना के लिये आपसी सहयोग, हमदर्दी ज़रूरी है। समाज के सभी लोग मिल कर एक दूसरे के शुभचिंतक हमदर्द और मददगार हों। समाजी आवश्यकताओं को न तो एक व्यक्ति पूरा करने का शक्ति रखता है और न ही हर एक के अन्दर हर काम करने की क्षमता होती है। इसलिये एक मज़बूत और सदाचारी समाज की स्थापना में आपसी सहयोग एक महत्वपूर्ण तत्व है।

३. एक दूसरे को समझना और समझौता करना और करानाः इस्लाम धर्म ने इन्साफ, छमादान, और एक दूसरे के अधिकारों का ख्याल रखने की व्यवस्था काइम

की ताकि आपसी सुलह सफाई का रास्ता प्रशस्त हो और मजलूम को उसका हक़ मिले और जालिम के अत्याचार पर अंकुश लगाना आसान हो और दुनिया में अम्न व शान्ति स्थापित हो। समाज का कोई भी इन्सान जब कोई अचारितत्रिक हरकत करता है तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है यही वजह है कि इस्लाम धर्म ने किसी तरह के आपसी झगड़ा होने पर यह मार्गदर्शन किया है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह सफाई के लिये ऐसा फारमूला पेश किया जाये जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर लें। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''अगर मोमिनों के दो गरोह आपस में कत्ल व किताल पर आमादा हो जायें तो उनके दर्मियान सुलेह कराने की पूरी कोशिश करो और अगर एक गरोह दूसरे गरोह पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले गरोह को सख्ती से रोको यहां तक कि वह अल्लाह के हुक्म को मानने पर राजी हो जाये, फिर उनके दमिर्यान इन्साफ के साथ सुलेह सफाई करादो अल्लाह तआला इन्साफ परस्त लोगों से मुहब्बत करता है'' (सूरे हुजुरात-६)

लिहाज़ा आपस में सुलह सफाई करने का जजबा रखने वाले लोगों की भूमिका भी विश्व शान्ति की स्थापना का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

माफ करनाः मक्का में सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद और आपके साथियों ने तेरा साल तक मुश्रिकों के अत्याचार को सहन किया और उन्हें मक्का छोड़कर हबशा और मदीना की तरफ जाना पड़ा। लेकिन जब मक्का विजय हुआ तो अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद ने सताने वालों के साथ माफी तलाफी का जो मामला किया वह इतिहास के पन्नों में आज भी पढ़ा जा सकता है। इस माफी और क्षमादान का परिणाम यह हुआ कि कल के जानी दुश्मन भी आपके जिगरी दोस्त बन गये। माफी तलाफी विश्व शान्ति की स्थापना का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

५. आपसी भाई चाराः सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद की मदनी जिन्दगी में अत्यंत विचार योग्य बात यह पायी जाती है कि आप ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच जो भाईचारा करवाया इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती।

६. राष्ट्रीय मेल मिलापः इस्लाम ने पूरी मानवता को एक मां बाप की औलाद होने का विचार पेश किया और इसको कुरआन और हदीस में बार बार दोहराया गया है ताकि सभी इन्सानों में भाई भाई होने की भावना पैदा हो। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने मदीना पहुंच कर यहूद के साथ एक संधि की थी जिस की दफआत को पढ़ें तो आज भी समाजी व्यवस्था के माहिरीन आश्चर्य में पड़ जायेंगे।

इस संधि की दफआत में यह बात स्पष्ट रूप से है कि मुसलमानों और उनके अलावा दूसरों के बीच आपसी सहयोग जारी रहेगा इस संधि (मुआहिदा) के अनुसार मुसलमान और गैर मुस्लिम सबके लिये शान्ति की स्थापना के प्रबन्ध का सिद्धांत साबित होता है।

इस मुआहिदे की एक महत्वपूर्ण दफा यह भी थी कि मुसलमानों की तरह यहूद और नसारा की इज्जत और जान व माल की पूरी तरह सुरक्षा की जायेगी गोया कि राष्ट्रीय मेल मिलाप भी विश्व शान्ति की स्थापना में एक महत्वपूर्ण तत्व है शर्त यह है कि दुनिया के लोग इस पर अमल पैरा हों।

रमज़ान के महीने में किये जाने वाले सत्कर्म

डा० अमानुल्लाह

रमज़ान का महीना भलाई और बरकत के एतबार से तमाम महीनों में श्रेष्ठतम महीना है इस मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्मों से अपनी झोली भर लेनी चाहिये।

इस लेख में उन आमाल का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें रमज़ान के महीने में पाबन्दी के साथ करना चाहिये।

१. रमज़ान का रोज़ा हर अकलमन्द बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है रोज़े की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है रोज़े का बदला अल्लाह स्वयं देगा। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फ़रमाया हदीस का अर्थ है कि चूंकि रोजेदार केवल अल्लाह के लिये खाना पीना छोड़ना है इसलिये अल्लाह तआला उसे बिना किसी वास्ते के स्वयं रोज़े का बदला देगा। (बुखारी ७४९२)

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फ़रमाया जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रोज़ा रखे गा अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मआफ कर देगा। (सहीह बुखारी-३८)

२. क्यामुल्लैल (तरावीह) का एहतमाम करनाः क्यामुल्लैल अल्लाह के यहां बहुत ही प्रिय इबादत है पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० क्यामुल्लैल का काफी एहतमाम करते थे। रसूलुल्लाह स०अ०व० के ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से आपके पैर में सूजन आ जाती थी।

रमज़ान के महीने में जमाअत के साथ तरावीह की नमाज़ अदा करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है बल्कि प्रतिष्ठित ओलमा तरावही की नमाज़ को जमाअत के साथ अदा करने को ही श्रेष्ठ करार देते हैं लेकिन अकेले अदा करने में कोई हर्ज नहीं है।

३. सदका खैरात करनाः सदका खैरात करना एक श्रेष्ठ इबादत है इसका बड़ा सवाब और अत्यधिक लाभ है लेकिन रमज़ान के महीने में सदका खैरात ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० भलाई के मामले में काफी दानवीर थे जब कि रमज़ान के महीने में तेज तुन्द हवाओं की तरह अल्लाह के रास्ते में दान व खैरात करते थे (सहीह मुस्लिम २३०८)

४. कुरआन की तिलावत करनाः इस्लाम ने कुरआन की तिलावत पर काफी जोर दिया है।

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० रमज़ान के महीने में कुरआन की तिलावत का काफी एहतमाम करते थे। जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आप स०अ०व० को हर रमज़ान में पूरा कुरआन पढ़ाया करते थे और उस रमज़ान में जिस रमज़ान के बाद आप पर कोई रमज़ान नहीं आया जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आप को दोबार कुरआन पढ़ाया। सहीह बुखारी

की हदीस न० ३२२० से मालूम होता है कि जिब्रईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह को रमज़ान के महीने में कुरआन पढ़ाया करते थे। कुरआन करीम की तिलावत की फज़ीलत बयान करते हुये रसूलुल्लाह स०अ०व० बयान करते हैं कि जो कुरआन के एक अक्षर की तिलावत करेगा उसे दस नेकी मिलेगी (सुनन तिर्मिज़ी २९१०), अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है।

कुरआन की तिलावत के दौरान चन्द अहम बातों का ख्याल रखना चाहिये। कुरआन की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करना, कुरआन की तिलावत के दौरान रोना, कुरआन को समझना, कुरआन पर अमल करना, कुरआन करीम के अनुसार अपना अकीदा बनाना।

५. एतकाफ करनाः ऐतकाफ का उल्लेख कुरआन और हदीस में मौजूद है। हज़रत मुहम्मद स०अ०व० हर रमज़ान में दस दिनों का एतकाफ करते थे और जिस साल आप का निधन हुआ आपने बीस दिनों का एतकाफ किया। (सहीह बुखारी २०४४)

रसूलुल्लाह स०अ०व० रमज़ान के आखिरी दस दिनों में पाबन्दी के साथ एतकाफ करते थे अतः रमज़ान के अंतिम दस दिन के एतकाफ की पाबन्दी करनी चाहिये एतकाफ मस्जिद में करनी चाहिये। मस्जिद के अलावा जगह में एतकाफ का सुबूत नहीं मिलता। एतकाफ किसी भी मस्जिद में कर सकते हैं। एतकाफ के लिये जामा मस्जिद की शर्त लगाना सहीह नहीं है लेकिन सबसे बेहतर एतकाफ मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिदे अकसा है फिर जामा मस्जिदों में, फिर किसी भी मस्जिद में। इस मामले में मर्द और औरत सब बराबर हैं क्योंकि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के ज़माने और आप के बाद भी औरतें मस्जिद ही में एतकाफ करती थीं।

एतकाफ़ के लिये मस्जिद के किसी हिस्से को लाज़िम पकड़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि पूरी मस्जिद में एतकाफ के दौरान कहीं भी आ जा सकते हैं। मस्जिद के अन्दर आयोजित होने वाले तमाम दीनी प्रोग्राम में शिर्कत की जा सकती है। एतकाफ के दर्मियान ज़रूरत की वजह से एतकाफ तोड़ा जा सकता है और इसका कोई कफ्फारा (प्रायश्चित) नहीं है। ईद का चांद निकलते ही एतकाफ से निकल सकते हैं।

६. लैलतुल क़द्र की तलाश रमज़ान का आख़िरी दस दिन अत्यंत खैर व बर्कत वाला है इसी आखिरी दस दिनों में एक रात है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं जो मुबारक रात है और हज़ार महीनों से बेहतर है।

इन दस दिनों की रातों में जिक्र व अज़कार, तसबीह तहलील और तिलावत का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करना चाहिये। रसूलुल्लाह इन में खुद रात को जागते और अपने परिवार वालों को भी जगाते। (सहीह बुखारी २०२४)

लैलतुल क़द्र की तलाश की फ़ज़ीलत बयान करते हुये हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फ़रमाया जो शख्स लैलतुल कद्र का क्याम करेगा उसके पिछले तमाम गुनाह मआफ कर दिये जाते हैं। (सहीह बुखारी १९०१)

शबे कद्र को पाने या उसका सवाब हासिल करने के लिये अच्छा यह है कि रमज़ान महीने की आख़िरी रोज़ों की तमाम रातों का क्याम किया जाये खास तौर से ताक रातें (२१,२३,२५,२७,२९) को इबादत में गुज़ारी जायें।

७. रमज़ान के महीने में उमरा करने का सवाब हज करने के बरबार है। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स० ने एक अंसारी औरत से फरमायाः रमजान में उमरा कर लेना क्योंकि रमज़ान में उमरा अदा करने का सवाब हज के बराबर है।

८. दुआ और जिक्र व अज़कार पाबन्दी से करना चाहिये क्योंकि यह कर्म अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसन्द हैं क्योंकि जिक्र व अज़कार तसबीह तहलील और दुआओं के जरिये हम जहन्नम से बच सकते हैं और जन्नत के हकदार बन सकते हैं। अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फ़रमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने रमज़ान का महीना पा लेने के बाद भी अपना क्षमादान नहीं करवा पाया। (सुनन तिर्मिज़ी ३५४५)

९. तौबा और माफी तलब करनाः तौबा और इस्तेगफार से अल्लाह तआला तमाम गुनाहों को मआफ़ करते हुये गुनाहों को नेकियों में बदल देता है।

अल्लाह तआला हम तमाम लोगों को हमेशा सत्कर्म करने की क्षमता दे खास तौर से रमज़ान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की क्षमता दे।

❑❑❑

मासिक इसलाहे समाज

स्वामित्व का एलान

फार्म न० ४ रूल न० १

नाम पत्रिका	:	इसलाहे समाज
अवधिकता	:	मासिक
प्रकाशन स्थान	:	अहले हदीस मंजिल ४११६, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-६
मुद्रक व प्रकाशक	:	मुहम्मद इरफान शाकिर
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	सी-१२५/२ अबुल फज़ल इन्कलेव-२ शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली२५
सम्पादक	:	एहसानुल हक
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	अहले हदीस मंजिल ४११६, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-६
स्वामित्व	:	मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द ४११६ उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-६

मैं मुहम्मद इरफान शाकिर, मुद्रक व प्रकाशक तस्दीक करता हूं कि उपर्युक्त बातें मेरे ज्ञान के अनुसार सहीह हैं।

हस्ताक्षर

मुहम्मद इरफान शाकिर

(प्रेस विज्ञप्ति)

हमारा देश और पूरा संसार अम्न व शान्ति का स्थल बना रहेः मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा ३४वीं आल इंडिया अहले हदीस कांफ्रेन्स सम्माननीय अमीर की दुआ के साथ सफलता पूर्वक संपन्न

दिल्ली १२ मार्च २०१८

ईमान की मांग यह है कि इन्सान अपने सृष्टा एवं स्वामी की उपासना और अल्लाह के बन्दों से प्रेम और उदारता का व्यवहार करे। आज प्रिय देश और पूरी दुनिया को इसकी सख्त आवश्यकता है। हम चन्द वर्षों से निरन्तर आतंकवाद और दाइश के खिलाफ सामूहिक फतवा इसी मैदान में जारी करते आ रहे हैं और फिर इसको दोहराते हैं। यह यथार्थ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा आयोजित ३४वीं आल इंडिया अहले हदीस कांफ्रेन्स के आखिर में अपने प्रार्थना संबोधन में किया।

उन्होंने कहा कि अम्न व शान्ति महान नेमत है और इस नेमत की सुरक्षा और विकास के लिये अल्लाह की तौहीद और हज़रत मुहम्मद स०अ०व० की ईश्दौत्य के वाहक देश के कोने कोने से हज़ारों की तादाद में यहां आये हैं। अल्लाह इस पवित्र और सत्य भावना से आने वालों को सफल बना दे और प्रिय देश में अम्न व शान्ति के विकास, राष्ट्रीय सदभावना और भाई चारा को बल प्रदान करे और शक्ति एवं विकास दे। अस्र के बाद सत्र की अध्यक्षता करते हुये प्रसिद्ध आलिमे दीन मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल ने कहा कि कुरआन व हदीस में अम्न की बड़ी अहमियत आयी है। हदीस में है कि जो शख्स अपने परिवार वालों में अम्न व सुख के साथ हो और वह स्वस्थ हो और उसे एक वक्त की रोटी उपलब्ध हो तो वह बहुत ही भाग्य शाली है उन्होंने अधिकृत कहा कि इस्लाम का पैनल कोड अम्न व शान्ति पर आधारित है किसी निर्धारित व्यक्ति को काफिर कहना दुरूस्त नहीं है। शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही है कि किसी को काफिर न कहो इसलिये कि यह अल्लाह और उसके रसूल का अधिकार है।

इस अवसर पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मु० हारून सनाबिली ने कहा कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द पाकूड़ कांफ्रेन्स २००४ से ही अम्न व शान्ति को बढ़ावा देने और मानवता की सुरक्षा की जोत जगाये हुयी है और ३४वीं आल इंडिया अहले हदीस कांफ्रेन्स इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आतंकवाद के खिलाफ हमारा यह प्रयास पूरी ऊर्जा के साथ भविष्य में भी जारी रहे गा ताकि देश, समुदाय और मानवता वास्तविक अम्न व शान्ति की दौलत से माला माल रहे।

अन्जुमन मिनहाजे रसूल के अध्यक्ष मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी ने कहा कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का शुमार देश के प्रमुख संगठनों में होता है उसके वर्णन के बिना भारत का इतिहास अधूरा ही रहेगा। उसके कल्याणकारी, और अम्न व शान्ति और मानवता के विकास में उसके प्रयास सराहनीय हैं। आतंकवाद के खिलाफ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द ही ने सबसे पहले सामूहिक फतवा पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में जारी किया इस कांफ्रेन्स के आयोजन पर मर्कज़ी जीमअत अहले हदीस हिन्द को बधाई देता हूं। मदर्सा एजूकेश्नल बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना जाहिद रज़ा रिजवी ने कहा कि अम्न व शान्ति की स्थापना की जिम्मेदारी बिना भेद भाव धर्म एवं समुदाय हर व्यक्ति की है। मैं इस महत्वपूर्ण कांफ्रेन्स के आयोजन पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के पदधारियों विशेष रूप से सम्माननीय अध यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी को बधाई देता हूं।

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेन्टर के अध्यक्ष सिराजुददीन कुरैशी ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के शान्ति प्रयासों को सराहते हुये इस कांफ्रेन्स के आयोजन पर पदधारियों को बध ाई दी। दारूलउलूम अह्मदिया सलफिया दरभंगा के सचिव और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उपाध्यक्ष ने अपने सन्देश में जिसे उनके साहबजादे इंजीनियर सैयद इस्माईल खुर्रम ने पेश किया, कहा कि दुनिया में अम्न व अमान हर क्षण ज़रूरी और बड़ी नेमत है। मेरी दुआ है कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की इस हसीन कांफ्रेन्स को सफलता मिले। कांफ्रेन्स में मौलाना असरार अहमद मदनी न्यूजीलैण्ड ने ''विश्व शान्ति की स्थापना के महत्वपूर्ण तत्व'' मौलाना रफी अहमद मदनी आसट्रेलिया ने ''शान्ति की स्थापना के लिये जमाअत अहले हदीस के प्रयास'' मौला जफरूल हसन मदनी शारजा ने ''विश्व शान्ति की स्थापना में मस्जिदों के इमामों की भूमिका'' मौलाना अब्दुल हसीब मदनी ने ''अम्न की स्थापना में सहाबा का आदर्श'' जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया के कुलपति मौलाना खुर्शीद अहमद सलफी नैपाल ने ''अम्न क्यों आवश्यक है'' मौलाना अब्दुल हकीम मदनी मुंबई ने ''राष्ट्रीय सदभावना और अम्न व भाई चारा के विकास में मदर्सों की भूमिका'' मौलाना शुएब मैमन जूना गढ़ी, सचिव प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस गुजरात ने ''अल्लाह पर ईमान अम्न व शान्ति का जामिन'' डा० सईद अहमद उमरी, अध्यक्ष प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस आंध्राप्रदेश ने ''विश्व शान्ति की स्थापना के लिये जमाअत अहले हदीस हिन्द के प्रयास'' मौलाना अरशद बशीर मदनी हैदराबादी ने ''इस्लाम और इंसानी बिरादरी'' डा० शाहिद मुबीन नदवी, अमीर जमीअत अहले हदीस लखनऊ ने ''आतंकवाद आधुनिक युग का सबसे बड़ा नासूर'' मौलाना शमीम अहमद फौजी ने ''मानवता की सुरक्षा और अल्ल्लाह के सन्देशवाहक हज़रत मुहम्मद स०अ०व० की सीरत'' मौलाना रियाज अहमद सलफी, उप सचिव मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने ''इस्लाम में पानी की सुरक्षा पर जोर'' एडवोकेट फैज सैयद

औरंगाबाद ने ''देश के संविधान में मानवता की सुरक्षा'' मौलाना रिजाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी पूर्व उप सचिव मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने ''मसलकी वैमनस्ता अम्न व भाई चारा के लिये खतरा'' मौलाना मेराज रब्बानी ने अकीद-ए-तौहीद विश्व-शान्ति का जामिन'' मौलाना जरजीस इटावी अमीर प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस पश्चिमी यू.पी. ने ''विश्व शान्ति की स्थापना और संसार के लिये दया-आगार हज़रत मुहम्मद स०अ०व० का आदर्श'' और अबू जैद जमीर ने ''अकीद-ए-तौहीद और मानवता की सुरक्षा'' के शीर्षक पर संबोधन किया।

इस कांफ्रेन्स में मौलाना मु० इब्राहीम मदनी, अमीर जिलई जमीअत अहले हदीस सिद्धार्थनगर, मौलाना मु० रिजवान सलफी, उपाध यक्ष प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस विहार, अरशद खान लखनऊ, डा० हुसैन अबू बक्र कोया आदि ने शिर्कत की और अपने उदगार पेश किये। इस कांफ्रेन्स में २५ से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने उदगार व्यक्त किये और ''विश्व शान्ति की स्थापना और मानवता की सुरक्षा'' के शीर्षक पर आयोजित इस कांफ्रेन्स को समय की बड़ी आवश्यकता करार देते हुये कहा कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के पदधारी बधाई के पात्र हैं। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कोषाध्यक्ष और कांफ्रेन्स के कनवीनर अलहाज वकील परवेज ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। मौलाना अतीक असर नदवी और हाफिज अब्दुल मन्नान मिफताही ने कविता सुनायी और कांफ्रेन्स के अंतिम सत्रों में मासिक ''दी सिम्पल ट्रूथ'' (अंग्रेजी) और पाक्षिक जरीदा तर्जुमान (उर्दू) का विशेषांक जिसमें आतंकवाद और दाइश के विरोध में सामूहिक फतवों को प्रकाशित किया गया और आतंकवाद और दाइश के विरोध ा में फतवे का पांचवां अंग्रज़ी एडीशन का विमोचन हुआ। सबसे अंत में देश समुदाय और मानवता से संबन्धित करारदाद पेश की गयी जिसे डा० मु० शीस इदरीस तैमी ने पढ़ कर सुनाया जिसका तमाम श्रोताओं ने समर्थन किया।

करार दाद में देश से प्रेम को मोमिन का तरीका और मानव स्वभाव करार देते हुये पुरजोर अंदाज़ में कहा गया है कि हम संपूर्ण मुसलमान और सच्चे पक्के हिन्दुस्तानी हैं। प्रिय देश की सरहदों की सुरक्षा और उसकी राह में कुर्बानी के लिये हर वक्त तैयार हैं हम सब हिन्दुस्तानी भाई भाई हैं। चूंकि इस्लाम अम्न व शान्ति की सुरक्षा का झण्डावाहक और उसकी शिक्षाएं अम्न, भाईचारा और उदारता पर आध ाारित हैं इसलिये इसको देश बन्ध ुओं तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि गलत फहमियां दूर हों।

बाबरी मस्जिद मामले में अदालत का फैसला एक बेहतरीन समाधान और काबिले कुबूल हल है अतः इस सिलसिले में मुस्लिम प्रस्नल्ला बोर्ड और संबन्धित पक्षों के अलावा कोई ऐसा इकदाम न करें जिससे अवाम और मुल्क उलझन में पड़ें।

करारदाद में मिल्ली संगठनों और जमाअतों से अपील की गयी है कि वह आपस में सम्मान का ख्याल रखें और कोई ऐसा बयान न दें जिससे समुदायिक एवं देशीय एकता को नुकसान पहुंचे। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के

द्वारा ''विश्व शान्ति की स्थापना और मानवता की सुरक्षा'' के शीर्षक पर आयोजित कांफ्रेन्स को समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता करार देते हुये पदधारियों को बधाई दी गयी उनसे अपील की गयी कि अम्न को बढ़ावा देने और आतंकवाद के रिन्तर विरोधा का सिलसिला जारी रखें।

आसाम में नागरिकता के मसले को मानवीय आधार पर हल करने की अपील करते हुये राजनीतिक पर्टियों से मांग की गयी है कि इस मामले को सियासी रंग न दें। करारदाद में बढ़ते हुये सामूहिक हिंसा के रूझहान और सांप्रदायिक फसाद पर चिंता व्यक्त की गयी और देश वासियों से अपील की गयी कि वह हर हाल में सांप्रदायिक सदभावना, आपसी मेल जोल और भाई चारा के वातावरण को स्थापित रखें और कानून को हाथ में न लें। श्री लंका में बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ की गयी हिंसक कार्रवाई पर चिंता और फलस्तीनियों के हक़ में भारत सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की गयी।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम

18वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा

हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर

कुरआन करीम

दिनांक 28-29 जुलाई 2018

शनिवार-रविवार स्थानः डी-254,

अहले हदीस कम्लेक्स ओखला, नई

दिल्ली-25

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2018

एक उम्मीदवार केवल एक ही

श्रेणी में भाग ले सकता है फार्म मर्कज़ी

जमीअत की वेब साइट

www.ahlehadees.org से डाउन लोड किया

जा सकता है।

अधिकृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

मुसाबका हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन कमेटी

011-23273407 Fax 011-23246613

Email.

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

मादर्क पदार्थ, इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में

मुश्ताक अहमद नदवी

इस्लाम एक विश्व व्यापी धर्म है, उसकी शिक्षाएं मानव स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल हैं। उसने इन्सान को उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल की इजाजत दी है जो इन्सान के लिये दीनी और दुनियावी एतबार से लाभदायक हो और उन तमाम चीज़ों से रोका है जो उसके हक में किसी भी एतबार से नुकसानदेह हो स्पष्ट रहे कि मादक पदार्थ के अन्दर वह तमाम चीज़ें और दवाएं शामिल हैं जो इन्सान की मानसिक हालत और व्यवहार को बदलने की क्षमता रखती है चाहे वह जिस रंग और जिस रूप में मार्किट में उपलब्ध हो। तम्बाकू, भंग, चर्स, शराब अफयून और हीरोइन आदि इस लिसिले के चन्द नाम हैं।

कुरआन की सूरे माइदा आयत न० ९०.९१ में शराब को गन्दी चीज़ और उसके पीने को शैतानी काम कहते हुये शराब से दूर रहने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि शराब से समाज के अन्दर आपसी दुश्मनी, नाचाकी और कीना कपट का माहौल पैदा होता है और इन्सान अल्लाह की याद और नमाज़ से गाफ़िल हो जाता है। इन दोनों आयतों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर तुम हमारे रसूल की बात नहीं मानोगे तो हमारे रसूल का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि उनका काम केवल अल्लाह के सन्देश को पहुंचा देना है। मानने की सूरत में तुम्हारी ही भायदा होगा और न मानने की सूरत में तुम्हारा ही घाटा होगा।

इस्लाम में शराब और अन्य मादक पदार्थों से संबन्धित कुछ हदीसों को यहां पर उल्लेख किया जा रहा है।

१. अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने फरमाया "हर नशे वाली चीज़ खुमर है और हर नशे वाली चीज़ हराम है (सहीह मुस्लिम-४७३)

इस हदीस से मालूम होता है कि कुरआन और हदीस में जिस खुमर के बारे में बड़े सख्त अहकामात आये हैं इसमें सभी नशे वाले पदार्थ दाखिल हैं। इस बारे में दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर फारूक रजिअल्लाहो तआला अन्हो का एक फरमान भी मौजूदा है कि "खुमर" से तात्पर्य वह सभी चीज़ें हैं जो अक्ल की कार्य शक्ति को प्रभावित कर दे। (सहीह बुखारी)

आइशा रजिअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फरमाया हर वह पीने की चीज़ जो नशा लाती हो, हराम है। (सहीह बुखारी-५२६३)

उम्मे सलमा रजिअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हर नशाआवर और फुतूर लाने वाली चीज़ से मना किया है। (सुनन अबू दाऊद हदीस न०-३६८२)

४: इब्ने अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि

वसल्लम ने फ़रमायाः शराब से बचो क्योंकि वह हर बुराई की चाबी है (हाकिम, अल्लामा अल्बानी इसे सहीह कहा है-अल सिलसिला तुस्सहीहा ६/७०७)

५ः अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल स० अ०व० ने फ़रमायाः अल्लाह ने शराब, उसके पीने वाले, उसके पिलाने वाले, उसके खरीदने वाले, उसके बेचने वाले, उसको तैयार करने वाले, उसको जमा करने वाले, उसे उठाने वाले और उस शख्स पर लानत की है जिसके पास उठाकर ले जाया जाये (अबू दाऊद, हदीस न०-३६७४ इब्ने माजा-३३८, सहीहुल जामे-५०६१)

६ः अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया तीन तरह के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, मां बाप की नाफरमानी करने वाले, शराब पीने वाले, और कुछ देकर एहसान जतलाने वाले (मुसनद अहमद, हदीस न०-८०६१ सहीहुल जामे हदीस न०-३०७१)

यह कुछ हदीसें यह बताने के लिये काफी हैं कि इस्लाम धर्म शराब और अन्य मादक पदार्थों को किस दृष्टि से देखता है और इनके बारे में मुसलमानों को किस बात का हुक्म देता है।

१ः अल्लाह ने इन्सान को पूर्ण शरीर दिया है जो उसकी बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की सुरक्षा करना इन्सान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन्सान को इस बात का अधिकार नहीं है कि अपने शरीर को जान बूझ कर कोई नुकसान पहुंचाये। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०अ०व० की एक मश्हूर हदीस है जो इस्लामी कानून के बुनियादी सिद्धांतों में से है ''ला ज-र-रा वला जिरारा'' अर्थात कोई इन्सान न स्वयं को कोई नुकसान पहुंचा सकता है न किसी और को'' कुरआन की सूरे निसा आयत न० २९ में है ''तुम अपने आपको कत्ल न करो'' जब कि आम तौर से यह देखा जाता है कि आज मादक पदार्थों के इस्तेमाल की वजह से करोड़ों इन्सान विभिन्न घातक और लाइलाज बीमारियों में लिप्त हो रहे हैं और दिन ब दिन यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है।

२ः अल्लाह ने इन्सान को सोचने समझने और गौर व फिक्र करने के लिये अक्ल जैसी बड़ी नेमत दी है। अक्ल की अहमियत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरआन में ''अक्ल'' का शब्द विभिन्न शक्लों में ४९ बार उल्लेख किया गया है इसके अलावा अक्ल के विभिन्न पर्यायवाची शब्द भी आये हैं जो इन्सान को बार बार स्वयं अपने वजूद के अन्दर और इस संसार के अन्दर चिंतन करने के लिये आमंत्रित करते हैं। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है अर्थात नसीहत हासिल करने का सौभाग्य उन्हीं लोगों को मिलता है जो अक्ल व बसीरत के मालिक हों। जबकि मादक पदार्थों का पहला अटैक (नुक्सान) इसी महान नेमत अकल पर होता है और इसी को प्रभावित करते हैं।

३. अल्लाह ने माल व दौलत को मानव जीवन की स्थापना का माध्यम बताया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''माल को अल्लाह ने तुम्हारी दुनिया की जिदंगी की गतिविधियों को जारी रखने का माध्यम बनाया है'' (सूरे निसा-५) यही वजह है कि माल को गलत जगह में खर्च करने की इजाज़त नहीं है एक हदीस में है कि क्यामत के दिन अल्लाह का कोई बन्दा उस वक्त तक अपनी जगह से न हिल सकेगा जब तक चार बातों का जवाब न दे दे जिनमें से एक

यह भी है कि उसने माल कहां से हासिल किया था और कहां खर्च किया था। इसी तरह फिजूल खर्ची से भी मना किया गया है। कुरआन कहता है ''फिजूल खर्ची हर्गिज़ न करो वास्तव में फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं''। सूरे इसरा-२६-२७

जबकि हम देखते हैं कि मादक पदार्थों का इस्तेमाल आर्थिक तबाही व बर्बादी का कारण है कितने ही ऐसे मालदार लोग नशे के चक्कर में सड़कों पर आ गये कंगाल हो गये और कहीं के न रहे।

४: इस्लाम ने इन्सान को जिन्दगी गुजारने के लिये हलाल तरीके से माल कमाने और अपने हाथ की कमाई खाने की प्रेरणा दी है। सहीह बुखारी की एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल स०अ०व० ने फ़रमाया एक इन्सान के लिये इससे बेहतर खाना कुछ और नहीं हो सकता कि वह खुद अपने हाथ से कमा कर खाये, अल्लाह के पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथ से कमा कर खाते थे''

लेकिन मादक पदार्थों का सेवन इन्सान को आम तौर पर निकम्मा और निखट्टू बना देता है वह मेहनत और मशक्कत के बजाये आवारगी का शिकार हो जाता है।

५: इस्लाम उच्च आचरण और चरित्र अपनाने का पाठ देता है। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद स०व० अ० ने फरमाया मुझे इसलिये भेजा गया ताकि उच्य आचरण को पूरा करूं (इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम मालिक ने रिवायत किया है)

जबकि मादक और नशीले पदार्थ इन्सान को दुराचार और बदचलनी की तरफ ले जाता है और उससे अच्छे आचरण की दौलत को छीन लेता है जो इन्सान की एक अनमोल पूंजी है।

६: इस्लाम अपने घर वालों और रिश्ते नाते दारों के साथ सदव्यवहार का हुक्म देता है। आइशा रजिअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर इन्सान वह है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के हक़ में तुम में से सबसे बेहतर इन्सान हूं। (सुनन तिर्मिज़ी-३८६५)

जबकि नशे का आदी एक इन्सान की तरफ से दुख पहुंचाने का सामना सबसे ज़्यादा उसके घर वालों को ही करना पड़ता है।

७: इस्लाम ने हर इन्सान पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह अपनी औलाद की शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे लेकिन जो इन्सान नशे का आदी बन जाता है तो उसे इस जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं रहता यही वजह है कि आम तौर पर मादक पदार्थ सेवन करने वालों के बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं।

८: इस्लाम एक ऐसे समाज का गठन करना चाहता है जिस में अम्न व शान्ति हो।

लेकिन मादक पदार्थों का इस्तेमाल समाज में आपसी दुश्मनी, हसद जलन और कीना कपट को जन्म देता है जिससे पूरा समाज बदअम्नी और बेचैनी का शिकार हो जाता है।

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार तमाम नशाआवर पदार्थ नाजायज और हराम हैं इनका इस्तेमाल इन्सान के व्यक्तगत और सामूहिक जीवन के लिये घातक है दीन व दुनिया के लिये मोहलिक है इसलिये इस बात की सख्त आवश्यकता है कि इससे समाज को बचाने का सफल प्रयास किया जाये।

मानवता की सुरक्षा, महत्ता एवं आवश्यकता

मुहम्मद अज़हर मदनी
डायरेक्टर, इकरा गर्लस इण्टरनेशनल नई दिल्ली

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फ़रमायाः जिसने किसी मुआहिद अर्थात गैर मुसिलम नागरिक की हत्या की तो वह जन्नत की खुश्बूत नहीं सूंघ सकेगे जबकि जन्नत की खुश्बू चालीस साल की दूरी की यात्रा तय करने तक महसूस की जाती है। (सहीह बुखारी ३/११५, इब्ने माजा २/८६६, बज्जार २३८३)

इस्लाम दया, करूणा वाला धर्म है उसने मानव सुरक्षा और अम्न व शान्ति की स्थापना के लिये व्यवहारिक उपाय पेश की लोगों को चरित्रवान बनाने के साथ साथ पूरी मानवता को अम्न व शान्ति का सन्देश सुनाया और इस धरती पर अत्याचार और फसाद के खात्मे का एलान किया और हर प्रकार के हिंसा, फसाद, हत्या और आतंकवाद को हराम करार दिया और एक इन्सान के नाहक कत्ल को पूरी मानवता की हत्या के समान करार दिया कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वह किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और जो शख़्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिन्दा कर दिया (सूरे माइदा-३२)

शुरू में उपर्युक्त हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो मानव सेवा के सबसे बड़े और सच्चे समर्थक थे। आपने अपनी पूरी जिन्दगी मानवता के लिये खर्च कर दी ताकि इस धरती से बुराई का खात्म हो जाये, लोग खुशहाल जिन्दगी गुजारने लगें, समाज शान्ति पूर्ण, खुशगवार, और सुखमय हो जाये, लोग एक हो जायें, किसी भी प्रकार का न कोई भेद भाव हो और न ही कोई भय।

हर जगह शान्ति ही शान्ति हो, समृद्धि ही समृद्धि हो, प्यार मोहब्बत का वातावरण हो लोग मानवता की बुनियाद पर एक दूसरे के अधिकारों की अदायगी करें।

हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने मानवता को इतना सम्मान दिया और इन्सानी प्राण की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिये फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ इशारा न करे, तुममें से कोई नहीं जानता कि शायद शैतान उसके हाथ को डगमगा दे और नाहक कत्ल के परिणाम में जहन्नम के गडढ़े में जा गिरे। और अबू दाऊद की एक हदीस में यहां तक आया है कि हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने नंगी तलवार लेने देने से भी मना किया है।

सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद

स०अ०व० की पूरी ज़िन्दगी इस बात की प्रतीक और प्रेरक है कि आपने मानवता की बुनियाद पर सबको उनका पूरा हक दिया और किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया। आज लोगों में यह गलत फहमी (भ्रम) है कि हज़रत मुहम्मद स०अ०व० और उनके सहाबा (साथियों) ने गैर मुस्लिमों के जान व माल और उनके मान सम्मान को हलाल कर दिया जबकि यह सरासर झूठ और मानवता के उपकारक पर झूठ और निराधार आरोप है। हदीस की किताब मुसनद अहमद और अबू दाऊद में है हज़रत खालिद बिन वलीद बयान करते हैं कि हम हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के साथ ख़ैबर में मौजूद थे लोग जलदी से यहूद के बाड़ों में घुस गये, आपने मुझे अजान देने का हुक्म दिया इसके बाद आपने फरमाया कि तुम जल्दी में यहूद के बाड़े में घुस गये हो सुन लो! सिवा-ए-हक के गैर मुस्लिम शहरियों के माल से लेना हलाल नहीं, और एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद अल्लाह ने खैबर के मौके पर गैर मुस्लिम शहरियों के माल पर कबजा करने को हराम करार दिया है। बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी स्मिता तुम्हारे ऊपर ऐसे ही सम्मानीय है जैसा कि आज का यह दिन सम्माननीय है। इस हदीस में भी मानवता की सुरक्षा और सम्मान पर विश्व-विध ाान है। सम्मान, जान माल, अक्ल, दीन और आचरण की सुरक्षा का कर्तव्य इस्लाम में मानव-सुरक्षा की जहां जमानत है वहीं शराब, जुवा, प्रदूषण, ढगी, घोकाधड़ी की हुर्मत (अवैधता) भी मानतवा की सुरक्षा के लिये आवश्यक है। मानव-सुरक्षा के सिलसिले में हैवान, बनस्पति, (निर्जीव) यहां तक कि नजिस जानवरों की सुरक्षा और उनके साथ दया करूणा और उनकी सेवा पर भी इस्लाम बल देता है क्यों कि मानवता की बका, सुरक्षा और सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सिलसिले में प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत की शुभसूचना देने वाली हदीस का संदर्भ काफी है।

हदीस की किताबों में मानव सुरक्षा के संबन्ध में दर्जनों ऐसी हदीसें और शिक्षाएं मिलेंगी जिनसे इस बात का अन्दाजा होता है कि मानव सुरक्षा उन महत्वपूर्ण और बुनियादी बातों में से है जिसके बिना इंसानियत की पहचान खत्म हो जाती है। कुरआन का मानव सम्मान और स्मिता की सुरक्षा के हवाले से यह सबसे बड़ा सम्मान है कि हमने आदम की सन्तान को बड़ी इज्ज़त दी और उन्हें खुश्की और तरी समुद्र की सवारियों दीं और उन्हें पवित्र चीजों की रोजियां दीं और अपनी बहुत सी सृष्टि (मखलूक) पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदानकी। इस लेख में उल्लिखित कुरआन की आयत मानव सम्मान के अध्याय में एक मूल सिद्धांत है जिससे इन्सान का श्रेष्ठ होना निर्धारित करता है।

अल्लाह से दुआ कि हम तमाम लोगों को मानवता की सुरक्षा की भावना रखने की क्षमता और मानवीय आधार पर एक दूसरे पर एक दूसरे के अधिकार को जानने पहचानने और व्यवहारिक रूप देने की क्षमता दे। आमीन

(जरीदा तर्जुमान ३१ मार्च २०१८)

एलाने दाख़िला

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था

अलमाहदुल आली लित तखस्सुस फिद दिरासातिल इस्लामी में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन 24 जून से 26 जून 2018 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें।

आवेदन पत्र मिलने की आखिरी तारीख 18 जून 2018 है।

नोटः- हर क्षात्र को वज़ीफे के तौर पर हर महीने 3000/- दिया जायेगा। अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव
जामिया नगर दिल्ली-110025

फोन 011-26946205 , 011-23273407
Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर

सदक़ात व खैरात का हिस्सा मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द को देना न भूलें

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द हिन्दुस्तान में अहले हदीसों का नुमाइन्दा पलेटफार्म है जो अपने उददेशों व लक्ष्यों की रोशनी में योजनाओं को पूरा करने के लिये प्रयासरत है। उसकी दावती, तबलीगी, तालीमी, तर्बियती, तहरीरी व सहाफती, कल्याणकारी एवं समाजी सेवाओं का एक लम्बा सिलसिला है। सेमीनार कांफ्रेन्स और प्रतियोगिता के आयोजन, विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन, तफसीर, हदीस और अहम दीनी किताबों के प्रसारण का काम पाबन्दी से हो रहा है। यह सब काम अल्लाह के फज्ल व करम के बाद अहले खैर हज़रात शुभचिंतकों उपकारकों के सहयोग से हो रहा है। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और अपने उपकारकों और मुख्लिसीन के भी जिन्होंने किसी न किसी पहलू से मर्कज़ी जमीअत के विकास में भाग लिया है और उसके योजनाओं को पूरा करने में आज भी सहयोग जारी रखे हुये हैं।

तमाम शुभचिंतकों व मुख्लिसीन से अपील है कि रमज़ान के मौके पर मर्कज़ी जमीअत के तमाम विभागों को सक्रिय रखने और उसके निमार्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये जमीअत के जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ भरपूर सहयोग करें। वह आपकी सेवा में हाज़िर होंगे। अगर इनमें से कोई आपके पास न पहुंच सके तो कृपया अपना सहयोग मर्कज़ी जमीअत के दफतर में भेज दें अल्लाह आपकी नेकियों को कुबूल करे।

चेक या ड्राफ केवल : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

के नाम से बनवायें :A/c No.629201058685 (ICICI Bank) Chandni Chowk, Delhi-6

अपीलः- मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

ईदैन के अहकाम और मसाइल

अब्दुल वली, सऊदी अरब

ओलमा के उत्तम कथन के अनुसार ईदैन की नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द पर वाजिब है। क्योंकि कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुरबानी की जिये'' (सूरे कौसर)

अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की पहली नमाज सन २ हिजरी में अदा की थी फिर जीवन भर इसको अदा करते रहे आपके बाद आपके खलीफा का भी यह तरीका रहा बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह ले जाने का हुक्म दिया।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा बयान करती हैं कि ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम औरतों को ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा में ईदगाह ले जायें। जवान लड़कियों, हैज वाली औरतों, पर्दा वाली औरतें को भी, लेकिन हैज वाली नमाज़ से अलग रहें और मुसलमानों की दुआ में शामिल हों।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा कहती है कि मैंने पूछा ऐ अल्लाह के सन्देष्टा हममें से किसी के पास चादर नहीं होती, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बहन उसको अपनी चादर उढ़ा दे। (बुखारी अल ईदैन ८९०, तिर्मिज़ी अलईदैन ५३९)

ईदैन की नमाज़ ईदगाह में अदा करना मसनून है। अबू सईद खुदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन ईदगाह निकलते थे ईदगाह पहुंच कर सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ते थे (बुखारी अलईदैन ८८९)

ईदैन की नमाज से पहले अजान इकामत नहीं है। जाबिर बिन समुरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज़ एक दोबार नहीं बल्कि कई बार बिना अजान और इकामत के पढ़ी है। (मुस्लिम ८८७)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजिअल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि ईदुल फित्र और ईदल अजहा के दिन (अल्लाह के रसूल के जमाने में) अज़ान नहीं दी जाती थी (बुखारी, अल ईदैन ९६०, मुस्लिम, सलातुल ईदैन ८८६)

ईद की नमाज़ केवल दो रकात है पहले और बाद में कोई सुन्नत नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो

बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन निकले आपने दो रकात नमाज़ पढ़ाई, आपने पहले और बाद में कोई नमाज़ नहीं पढ़ी और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रजिअल्लाहो अन्हो भी थे। (बुखारी ईदैन ८८४)

ईदैन की नमाज़ दो रकात है जिसकी पहली रकात में तकबीरे तहरीमा और दुआ-ए-सना के बाद सात जायद तकबीरें कही जायें और दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पांच जायद तकबीर कहीं जायें। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईदुल फित्र में पहली रकात में सात तकबीरें और दूसरी रकात में पांच तकबीरें हैं और केरात दोनों रकातों की तकबीरों के बाद है। (अबू दाऊद, अस्सलात ११५१ तिर्मिज़ी, अल जुमा ५३६, अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, सहीह अबू दाऊद ३१५)

नाफे रह० बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह रजिअल्लाहो अन्हो की इकतेदा में ईदुल अजहा और ईदुल फित्र अदा की तो उन्होंने पहली रकात में केरात से पहले सात तकबीरें और दूसरी रकात में केरात से पहले पांच तकबीरें कहीं (मुवत्ता इमाम मालिक अल ईदैन बाब मा जाआ फित तकबीर, वल केरात फिल ईदैन)

जब ईद और जुमा दोनों एक दिन में जमा हो जायें तो मुसलमान आम दस्तूर के अनुसार नमाज़ अदा करेंगे लेकिन उन्हें जुमा की नमाज के बारे में अधिकार हो गा कि वह चाहें तो जुमा अदा करें और चाहें तो उसमें शरीक न हों अयास बिन अबू रमला शामी बयान करते हैं कि मेरी मौजूदगी में मुआविया बिन अबू सुफियान रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने जैद बिन अरकम रजिअल्लाहो से यह सवाल किया क्या आपने अल्लाह के रसूल के साथ दो ईदों (ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा) को एक दिन में जमा होते देखा है? उन्होंने जवाब में कहा हां। मुआविया रजिअल्लाहो ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस अवसर पर क्या किया? उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और जुमा के बारे में रूखसत दी और फरमाया जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। (अबू दाऊद १०७०, दारमी १/४५६), अल्लामा अल्बानी ने इसकी सनद को सहीह कहा है। (सहीह अबू दाऊद १/१६६)

अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में दो ईद ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा एक दिन में जमा हो गयीं आप ने लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ाई फिर फरमाया जो जुमा में आना चाहे वह आये और जो न आना चाहे वह न आये। (इब्ने माजा १३१२, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, देखिए इब्ने माजा १/२२०)

ईदैन के दिन नहाना, खुश्बू इस्तेमाल करना मुस्तहब है। ईदैन के दिन के बारे में अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कोई हदीस साबित नहीं, सहाबा किराम रजिअल्लाहो तआला अन्हों का अमल है, अहले इल्म (ओलमा) की एक जमाअत के नजदीक यह गुस्ल जुमा के गुस्ल पर क्यास करते हुये मुस्तहब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन इस जुमा के दिन को अल्लाह ने मुसलमानों के लिये ईद बनाया है इसलिये जो शख्स जुमा के लिये आये, उसको चाहिये कि गुस्ल करे और अगर खुश्बू उपलब्ध हो तो उसको इस्तेमाल करे और तुम अपने ऊपर मिस्वाक को लाजिम कर लो (इब्ने माजा १०८५, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, देखिये सहीह सुनन इब्ने माजा १/१८१)

इमाम मालिक रह० ने नाफे से रिवायत नकल की है अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हुमा ईदुल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे (मुवत्ता इमाम मालिक, ह० २ मुसनद शाफई १/७३ ह० ३१८ मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक ३/३०६)

अल्लामा अल्बानी फरमाते हैं कि ईदैन का गुस्ल मुस्तहब होने पर सबसे अच्छी दलील सुनन बैहकी ३/२७८ की रिवायत है कि अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने कहा जुमा, अरफा, ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन गुस्ल करना चाहिये (इरवाउल गलील १/१७६ इस हदीस की सनद सहीह है)

ईद के लिये अच्छा कपड़ा पहन कर जाना मुस्तहब है।

अल्लामा इब्ने कैइम रह० फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदैन के अवसर पर खूबसूरत तरीन कपड़े पहनते थे। (जादुल मआद १/४२५)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत के अनुसार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन लाल धारियों वाली चादर पहनते थे (अल मोअजमुल अवसत ७/३१६ अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, देखिये सिलसिलातुल अहादीसिस्सहीहा ३/२७४

सुन्नत यह है कि ईदुल फित्र में ताक खुजूरें खाकर ईदगाह निकला जाये और ईदुल अजहा में बगैर कुछ खाये निकला जाये और ईदगाह से आने के बाद अपनी कुर्बानी से कुछ खाये।

अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन ताक खुजूरें खाये बगैर नहीं निकलते थे। (बुखारी ९५३, इब्ने माजा १७५४, इब्ने खुजैमा १४२९)

बुरैदा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल अजहा के दिन नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ न खाते थे और मुस्नद अहमद में इतने शब्द ज्यादा हैं कि आप अपनी कुर्बानी का गोश्त खाते थे। (तिर्मिज़ी ५४२, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है, देखिये सहीह तिर्मिज़ी १/३०२)

सअ्द रजिअल्लाहो तआला

अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईद के लिये पैदल चल कर जाते थे और पैदल वापस आते थे। (इब्ने माजा १२९४, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा, देखिये सहीह इब्ने माजा १/२१७)

मर्दों को तकबीरात पुकारते हुये ईदगाह जाना चाहिये।

जोहरी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र के दिन तकबीर कहते रहते यहां तक कि नमाज़ अदा कर लेते, जब नमाज़ अदा कर लेते तो तकबीरें कहना बन्द कर देते (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा १/४८७) अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को सहीह कहा, सिलसिलातुल अहादी सिस्सहीहा १/३२९, ह० १७१)

औरतें भी तकबीर पुकारें लेकिन अपनी आवाज़ को पस्त रखें ताकि मर्द न सुनें।

उम्मे अतिय्या बयान करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन अपने घरों से निकलें यहां तक कि कुवांरी लड़कियों को भी बाहर निकालें और हाइजा औरतों को भी निकालें, लेकिन वह मर्दों से पीछे रहें और उनकी तकबीर के साथ तकबीर कहें और उनकी दुआ के साथ दुआ करें, उस दिन की बरकत और पाकीजागी की प्राप्ति की आशा के साथ (बुखारी, ९७१, मुस्लिम अल इदैन ८९०)

ईदुल फित्र में तकबीरात कहने का वक्त शव्वाल का चांद दिखाई देने के बाद से इमाम के खुतबा से फारिग होने तक है।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह० फरमाते हैं कि ईदुल फित्र में तकबीर की शुरूआत चांद देखने से और ईद की समाप्ति से फारिग होने पर है और ईद से फारिग होने का सहीह कथन के अनुसार तात्पर्य यह है कि इमाम खुतबा से फारिग हो जाये। (फतावा इब्ने तैमिया २४/२२१)

सुन्नत यह है कि ईदगाह एक रास्ते से जाया जाये और दूसरे रास्ते से वापस आया जाये।

जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्दो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन जाते वक्त एक रास्ते और आते वक्त दूसरे रास्ते से वापस आते थे (बुखारी ९८६)

हाफिज इब्ने हजर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के रास्ता बदल कर आने जाने की हिकमत यह बयान करते हैं ताकि इस्लामी शिक्षाओं का लोगों को इल्म हो सके, आप के लिये दोनों रास्ते गवाही दें, जिक्र इलाही को व्यक्त करने के लिये, दोनों रास्तों के लोगों को सलाम करने के लिये, लोगों को धार्मिक बातें सिखाने के लिये, सदका करने के लिये, रिश्ता नाता जोड़ने के लिये (फतहुल बारी २/५४८)

और सबसे बड़ी हिकमत जो एक मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा विश्वसनीय है वह यह है कि ऐसा करने में रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के तरीके का अनुसरण है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ''तुम्हारे लिये रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में बेहतरीन नमूना है''। (अल शरहुल मुम्तअ ५/११७)